भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 499

उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

श्रेष्ठ योजना

499. डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री लल्लू सिंह:
श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) का उद्देश्य क्या है;

(ख) इस योजना का उद्देश्य किस हद तक लक्षित समूह, विशेषकर अनुसूचित जातियों हेतु शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का संवर्धन करना है;

(ग) क्या नशा मुक्त भारत अभियान के लिए बजट आवंटन में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के लिए विकास हस्तक्षेपों की पहुंच बढ़ाने और सेवा की कमियों को दूर करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) गैर-सरकारी संगठनों और आवासीय उच्च विद्यालयों द्वारा संचालित सहायता अनुदान संस्थानों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार करने में क्या भूमिका है; और

(च) अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों के लिए भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए संदर्भ में योजना के अनुमानित लाभ क्या हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) और (ख): श्रेष्ठ स्कीम का उद्देश्य अनुदान सहायता संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) के प्रयासों तथा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे आवासीय उच्च विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के विकास इंटरवेंशन की पहुंच बढ़ाना तथा सेवा से वंचित अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अंतराल को भरना है। इस स्कीम का लक्ष्य 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी करने के लिए सीबीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों की कक्षा 9 तथा 11 के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान करते हुए अनुसूचित जातियों (एससी) का सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा समग्र विकास करना है। इसके अलावा, आवासीय, गैर-आवासीय विद्यालयों तथा पर्याप्त अवसंरचना वाले छात्रावासों के संचालन और एससी छात्रों के लिए अकादमिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए), ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का भाग है तथा ईएफसी के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक एनएपीडीडीआर स्कीम के लिए निम्नलिखित बजट आवंटन किया गया है :-

वर्ष 2021-22 : 250 करोड़ रुपए
वर्ष 2022-23 : 291 करोड़ रुपए
वर्ष 2023-24 : 311 करोड़ रुपए
वर्ष 2024-25 : 314 करोड़ रुपए
वर्ष 2025-26 : 333 करोड़ रुपए

(घ): जी, हां। इस स्कीम में सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार दाखिल एससी छात्र कक्षा के अन्य छात्रों के साथ तालमेल बैठा सकें।

सेतु पाठ्यक्रमों (ब्रिज कोर्सों) का लक्ष्य विद्यालय के वातावरण को आसानी से अपनाने के लिए छात्रों की क्षमता में वृद्धि करना है।

(ड.): यह स्कीम दो मोड में कार्यान्वित की जा रही है। मोड-I में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एनईटीएस) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यों में प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 प्रतिभावान एससी छात्रों की विनिर्दिष्ट संख्या का चयन किया जाता है तथा उन्हें सीबीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त निजी आवासीय विद्यालयों में दाखिला प्रदान किया जाता है। मोड-2 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विद्यालय/छात्रावास परियोजनाओं के संचालन हेतु एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एससी छात्रों के लिए प्रति वर्ष 13500 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं।

(च): स्कीम के मोड-1 के अंतर्गत कक्षा 9 तथा 10 में छात्रों का दाखिला किया जाता है और कक्षा 12 तक शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तत्पश्चात् छात्र भावी अवसरों का लाभ उठाने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु छात्र मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अथवा टॉप-क्लास शिक्षा स्कीम के लाभ उठा सकते हैं।

*****